

कायालय :- अचल अधिकारी, लावालौंग (चतरा)

प्रथम विविध संस्करण - ०२/२०२५-२६

श्री राजेश भादव पिता
पिता - रामदेव भादव

श्री राजेश भादव पिता
कार्तिक पुष्पा ग्राम - लावालौंग

आदेश

॥५॥

श्री राजेश भादव पिता रामदेव भादव ग्राम - सरदार
पारा लावालौंग द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम - सरदार
खंडा से ०१ फरवरी २०१५ तक का पट्टे का नाम
राजेश भादव पिता कार्तिक पुष्पा ग्राम - लावालौंग द्वारा
उत्तर का पट्टा बनाने के संबंध में आवेदन पत्र प्राप्त हुआ
है। संशोधन वसुधैव कुटुम्बकम् द्वारा कार्यालय में उपस्थित
वर्तमान के माध्यम से पट्टों की उपस्थिति में ~~सर्व~~ मातृ
गण से अधिकृत वसुधैव की गई है। वसुधैव के
अगली सुनवाई के लिए निर्धारित दिनांक २९/०४/२५
को उपार संपर्क करें।

कार्तिक पुष्पा ग्राम - लावालौंग
अचल अधिकारी
लावालौंग

कार्तिक पुष्पा ग्राम - लावालौंग
अचल अधिकारी
लावालौंग

२९/०४/२५

अभिलेखित उपस्थिति। निम्न पक्ष उपस्थित।
मुलाकात। उम्मीद है कि उपस्थित हो। कार्तिक
पुष्पा ग्राम - लावालौंग १६.०५.२५ के उपस्थिति।

कार्तिक पुष्पा ग्राम - लावालौंग
अचल अधिकारी
लावालौंग

राजेश भादव
२९/०४/२५

16/05/24

प्रथम पक्ष उपास्थित, द्वितीय पक्ष अनुपास्थित / आगले
वाद की तिथि पुनः 30/05/24 को निर्धारित की जाती है।


16/05/24

रंजीत कुमार

30/05/24

प्रथम पक्ष उपास्थित, द्वितीय पक्ष के द्वारा
उपास्थिति आवेदन दिया गया परंतु अधोहस्ताक्षरी
के समक्ष उपास्थित नहीं हुए। बारंबार आदेश
देने के उपरांत भी द्वितीय पक्ष के द्वारा वाद की
सुनवाई में उपास्थित न लेना एवं किसी प्रकार
का कागजात समर्पित नहीं करना, उनके
द्वारे के पक्ष को कमजोर प्रदर्शित करता है।
द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने पक्ष में कोई कागजात
समर्पित नहीं करने के कारण, प्रथम पक्ष के
हित में वाद की सुनवाई का फैसला देते हुए
समाप्त की जाती है।
विशेष पक्ष यदि चाहे तो सहम न्यायालय
में जाने हेतु स्वतंत्र है।

रंजीत कुमार

लेखापति एवं सत्यापित


30/05/24

मेचल भोधिकारी
न्यायालय


30/05/24

मेचल भोधिकारी
न्यायालय